



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263269
CG-DL-E-21052025-263269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 375]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन)
विनियम, 2025

आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.126.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये 1 जून 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में, विनियम 40ख के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“40ख. प्ररूपों का फाइल किया जाना

(1) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक प्ररूप के सामने अनुबंधित समय-सीमा के अनुसार प्ररूपों के संलग्नकों सहित, बोर्ड के किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्ररूप फाइल करेगा:-

प्ररूप	समयावधि और परिधि	किसके द्वारा फाइल किया जाना है	समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
सी.पी.-1	सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ से लेनदारों की समिति के गठन तक: इसके अंतर्गत आई.आर.पी., सी.डी. और आवेदक के ब्यौरे, ए.ए.(न्यायनिर्णायक प्राधिकारी) द्वारा आवेदन का प्रतिग्रहण, सार्वजनिक उद्घोषणा, प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे, सी.डी. के प्रबंधतंत्र का कार्य-ग्रहण, दावों की प्राप्ति और सत्यापन, लेनदारों की समिति का गठन आदि आते हैं।	आई.आर.पी.	लेनदारों की समिति के गठन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट फाइल करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-2	लेनदारों की समिति के गठन से आर.एफ.आर.पी. जारी किए जाने तक: इसके अंतर्गत आर.पी. के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के ब्यौरे, आई.एम. में ब्यौरे, रूचि की अभिव्यक्ति, आर.एफ.आर.पी. और उसका उपांतरण, आदि भी हैं।	आर.पी.	आर.एफ.आर.पी. जारी किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-3क	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष फाइल की गई समाधान योजना/समापन/ बन्द करने संबंधी आवेदन के ब्यौरे: इसके अंतर्गत समाधान आवेदकों के ब्यौरे, प्राप्त की गई समाधान योजनाओं के ब्यौरे, लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजनाओं को अनुमोदित या अस्वीकार करने के ब्यौरे, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे, समापन कार्यवाही आरंभ करने के ब्यौरे (यदि लागू होता है), आदि भी हैं	आर.पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-3ख	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना/समापन/ बन्द करने का अनुमोदन: इसके अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना या समापन आदेश या बन्द करने के आदेश के ब्यौरे, आदि भी हैं	आर. पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा करने के सात दिन के भीतर
सी.पी.-4	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट किए गए परिवर्जनीय संव्यवहार: इसके अंतर्गत परिवर्जनीय संव्यवहारों (अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, अतिशय उधार, कपटपूर्ण) के ब्यौरे, अंतर्निहित रकमों, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की तारीख, आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश (यदि कोई है), आदि भी हैं	आर.पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व

सी.पी.-5	मासिकी: इसके अंतर्गत सी.आई.आर.पी. की अद्यतन प्रास्थिति, लेनदारों की समिति की आयोजित बैठकों के ब्यौरे, मुकदमेबाज़ी की अद्यतन स्थिति, उपगत व्ययों के ब्यौरे, विलंब के लिए कारण (यदि कोई हैं), आदि भी हैं	आई.आर.पी./ आर.पी.	पिछले मास के लिए प्रत्येक मास के 10वें दिन या उससे पूर्व।
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------

(2) बोर्ड, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएगा और उन्हें समय-समय पर उपांतरित कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

(4) इस विनियम के अधीन, किसी प्ररूप को, चाहे सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पश्चात् फाइल करने पर, बोर्ड द्वारा इस संबंध में परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, विलंब के प्रत्येक कलेंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

(5) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, ऐसी किसी कार्रवाई के लिए दायी होगा जो बोर्ड संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचित समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत –

- (i) अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप फाइल करने में असफल रहने,
- (ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी या अभिलेख,
- (iii) प्ररूप फाइल करने में विलंब,

के कारण असाइनमेंट के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./108/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 277, तारीख 3 अप्रैल, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.124, तारीख 3 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2025.

No. IBBI/2025-26/GN/REG126.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub- section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on 1st June, 2025.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, for regulation 40B, the following regulation shall be substituted, namely: -

“40B. Filing of Forms.

(1) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall file the Forms, along with the enclosures thereto, on an electronic platform of the Board, as per the timelines stipulated against each form, in the table below:-

Form	Period covered and scope	To be filed by	Timeline
(1)	(2)	(3)	(4)
CP-1	From commencement of CIRP till constitution of CoC: This includes details of IRP, CD, and the Applicant, admission of application by AA (Adjudicating Authority), public announcement, details of Authorised Representatives, taking over management of the CD, receipt and verification of claims, constitution of CoC, etc.	IRP	On or before the 10 th day of the subsequent month, after filing the report on constitution of CoC to AA
CP-2	From constitution of CoC till issue of RFRP: This includes details of RP, details of registered valuers, details in IM, expression of interest, RFRP and modification thereof, etc.	RP	On or before the 10 th day of the subsequent month, after issuance of RFRP
CP-3A	Details of resolution plan / liquidation / closure application filed with AA: This includes details of the resolution applicants, details of approval or rejection of resolution plans by CoC, details of application filed with AA for approval of resolution plan, details of initiation of liquidation (if applicable), etc.	RP	On or before the 10 th day of the subsequent month, after filing application with AA
CP-3B	Approval of resolution plan / liquidation / closure by AA: This includes details of the resolution plan approved by the AA or liquidation order or closure order, etc.	RP	Within 7 days of disposal of application by AA
CP-4	Avoidance transactions reported to AA: This includes details of the avoidance transactions (preferential, undervalued, extortionate credit, fraudulent), underlying amounts, date of reporting to AA, order of AA on the application (if any), etc.	RP	On or before the 10 th day of the subsequent month, after filing of application(s) with AA or disposal of application(s) by AA
CP-5	Monthly: This includes updates on the status of CIRP, details of CoC meetings held, updates on litigations, details of expenses incurred, reasons for delay (if any), etc.	IRP/RP	On or before the 10 th of every month for the preceding month.

(2) The Board shall make available the Forms referred in sub-regulation (1) on the electronic platform and may modify them from time to time.

(3) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall ensure that the Forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete.

(4) The filing of a Form under this regulation after the due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay from a date to be notified through circular by the Board in this regard.

(5) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall be liable to any action which the Board may take as deemed fit under the Code or any regulation made thereunder, including refusal to issue or renew Authorisation for Assignment, for-

- (i) failure to file a Form along with requisite information and records;
- (ii) inaccurate or incomplete information or records filed in or along with a Form;
- (iii) delay in filing the Form.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./108/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2025 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG124, dated the 3rd April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 277 on 3rd April, 2025.